कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक हनुमानगढ

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूल मान्यता/13—14/दिनांक 4.2.2013 एवं दिनांक 8.3.2013 के द्वारा क्रमोन्नति/नवीन मान्यता हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसरण निम्नांकित विधालयों द्वारा आवदेन करने पर विधालयों का क्रमोन्नति हेतु पैनल निरीक्षण करवाया जाकर निरीक्षण दल की अभिशंषा पर सत्र 2013—14 से कक्षा छठी व क्रमश सत्रानुसार कक्षा सातवी, आठवी लगाने की अनुमित प्रदान की जाती है।

화 0 स 0	नाम विधालय	स्तर	माघ्यम	अनुमति
01	श्री श्याम पाठशाला समिति वार्ड न 18 भादरा	प्राथमिक स्तर	अग्रेजी	कक्षा-6 (छठी)
02	विरासत विघापीठ रिको पेस-2(बी 145-146)हनुमानगढ जक्शन	प्राथमिक स्तर	अग्रेजी	कक्षा—6 (छडी)
03	मून बीम बेर तह भादरा	प्राथमिक स्तर	अग्रेजी	कक्षा—6 (छठी)
04	ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल 10एलएलडब्लू, रोडावाली तह हनुमानगढ	प्राथमिक स्तर	अग्रेजी	कक्षा—6 (छठी)

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक हनुमानगढ दिनांक:->५/५/२०/3

> जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक हनुमानगढ

फोन:-01552266268

फैक्स:-01552266268

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ राजस्थान

क्रमाक:-जिशिअ / हनु / प्रा० / मान्यता / 2012 / " 7 2 9

दिनांक:-21.6.2012

प्रबन्धक

श्री गुरूनानक खालसा शिक्षा समिति रीको पेस-2(बी-145-146)हनुमानगढ ज0

विषय:—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा—18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण—पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 02.02.2012 के आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मै विरासत विधापीठ रिको पेंस –2(बी 145—146) हनुमानगढ(अग्रेजी माध्यम) को दिनांक 21.6.2012 से दिनांक 21.6.2015 तक तीन वर्ष की अविध के लिये कक्षा प्राथमिक से कक्षा पाँचवी तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।

2.विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध 1)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2)के उपबंधों का पालना करेगा ।

3.विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की सख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ौस के कमजोर वर्गी और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसक पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।

4.पैरा—3में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की घारा—12(2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विघालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।

5.सोसायटी / विघालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।

6.विघालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।

7.विघालय सुनिष्चित करेगा कि:-'

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को ,विघालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विघालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम—23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विषेष आवष्यकता वाले विधार्थियों का स्मावेश किया जाना ।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विघमान अध्यापक जिनकें पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अविध के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे ।

- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है , और
- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ।
- विघालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठयचर्चा के आधार पर पाठयकम का पालन करेगा ।
- 9. विघालय अधिनियम की धारा—19 में अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविघाओं के अनुपात में विघार्थियों का नामांकन करेगा ।
- 10.विघालय अधिनियम की धारा—19 में यथानिर्दिष्ट विघालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐ निम्नानुसार है :-

विधालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र :- 1622 वर्ग मीटर

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल :-17926 वर्ग मीटर

कक्षा कमरों की संख्या :-16

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष :- 03

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :-उपलब्ध है।

पेयजल सुविधा :- उपलब्ध है

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई:- नही

बाधा रहित पहुँच

अध्यापक पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करो / पुस्तकालय की उपलब्धता:-उपलब्ध है।

11.विघालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विघालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐ नहीं चलाई जाएंगी ।

12.विघालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है ।

13.विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

14.विघालय को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।

15.विघालय के लेखाओं की चार्टड अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिकशिक्षा) हनुमानगढ़ को भेजी जानी चाहिए।

16.आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड 0003 संख्याक है । कृप्या इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें ।

17.विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)हनुमानगढ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकाकरी के ऐसे अनुदेशों का पालना करता है ,जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालन को सुनिशचत करने या विधालय के कायकरण की कमियों को दर करने के लिए जारी किए जाएं।

18.सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण ,यदि हो को सूनिश्चित किया जाए ।

19.संलग्न उपाबंध गा के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक हनुमानगढ

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक हनुमानगढ़

क्रमांक 8103

दिनांक 24.12.2020

To whom it may concern

This is to certify that Virasat Vidyapeeth, B-145, 146 RIICO Phase-2 Hanumangarh Jn. had applied for Primary Level affiliation during February 2012. After receipt of application and verifying the entire documents and infrastructure physically, District Education Office (Primary) issued the affiliation up to primary level (i.e. from class 1 to 5) vide letter no. (जिशिअ/हनु/प्रा./मान्यता/2012/729) Dated 21.06.2012 for a time period of 3 years from 21.06.2012 to 21.06.2015. This affiliation was issued as per the latest Performa issued by the Department of Education, Government of Rajasthan state. The affiliation issued by the District Education Office Elementary Education for a period of 3 years from 21.06.2012 to 21.06.2015 given for permanently as there were no orders issued by the Department of Education, Government of Rajasthan regarding above affiliation order issued by the District Education office Elementary Education, Hanumangarh. Hence the affiliation given for 3 years is to be considered forever i.e. one time. District Education office considers Virasat Vidyapeeth, B-145, 146 RIICO Phase-2 Hanumangarh Jn. affiliated with it permanently as there were no directions issued by the state education authorities regarding updation or renewal of affiliation.

Subsequently, the school was allowed to start class 6^{th} , 7^{th} and 8^{th} consecutively in the coming sessions i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16 vide letter no. (जिशिअ/हनु/प्रा. / मान्यता—क्रमोन्नति / 2013–14 / 21) dated 24.04.2013.

Director of Secondary Education Bikaner has also considered the affiliation as permanently. On the basis of earlier issued Affiliation by the District Education office Elementary Education Hanumangarh, Director of Secondary Education Bikaner gave No Objection Certificate (NOC) vide order no. (शिविरा / मा. / माध्यमिक / अ–2 / केमाशिबो / 2016–17 / 15) on Dated 30.06.2016.

Hence it is further certified that the affiliation given earlier is considered as permanent category of affiliation so far.

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक हनुमानमङ्